ई–मेल

कार्यालय निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–माध्य/संस्था/गोप्र/डी–।।–एफ/अचलसम्पति/2020/182 दिनांकः 15/05/2020

(अति–आवश्यक)

समस्त संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा माध्यमिक

विषयः– माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को उनकी **SSO-ID** से लॉगिन कर राज–काज साफ्टवेयर में **IPR MODULE** द्वारा ऑनलाईन संशोधित **IPR** भरने के संबंध में।

प्रसंगः– कार्मिक विभाग का परिपत्र– कमांक प.13(76)कार्मिक/क–1/गो.प्र./2011 जयपुर दिनांक 06.05.2020 एवं शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग के पत्र कमांक प. 24(6) शिक्षा–2/IPR /2018 जयपुर दिनांक 14.05.2020।

उपर्युक्त विषय व प्रसंगानुसार लेख है कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 06.01.2020 के द्वारा राज्य में कार्यरत् समस्त राजपत्रित अधिकारियों को वर्ष 2019 (01 जनवरी 2020 की स्थिति में) अपना अचल सम्पत्ति का विवरण **SSO-ID** से राज–काज साफ्टवेयर पर 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से भरा जाना था। परन्तु मण्डल से प्राप्त सूचना से प्रतीत होता है कि आपके मण्डल में शत्–प्रतिशत IPR ऑन–लाईन नहीं की गई है। कार्मिक विभाग ने **अचल सम्पत्ति विवरण भरने हेतु समयावधि 31 मई 2020 तक की गई है** अतः इस अवधि में IPR भरने से वंचित् राजपत्रित अधिकारी IPR ऑन–लाईन कर सकते है एवं जिन अधिकारियों द्वारा IPR भरते समय सहवन से गलत प्रविष्टियां अंकित कर दी गई थी, वे सभी अधिकारी इस अवधि में ऑन–लाईन संशोधित IPR भर सकेंगे।

अतः उक्त तिथि तक समस्त राजपत्रित अधिकारियों से शत्–प्रतिशत IPR ऑन–लाईन करवाकर निम्न प्रारूप में अपने अधिनस्थ कार्यालयों से सूचना प्राप्त कर दिनांक 25.05.2020/02.06.2020 को निम्न ई–मेल पते **desacrsec@gmail.com** पर आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

मण्डल का नाम..

क. सं.	जिले का नाम	कुल राजपत्रित अधिकारियों की संख्या	दिनांक 31.01.2020 तक अचल संपत्ति विवरण अपलोड करने वाले अधिकारियों की संख्या	दिनांक 25.05.20/02.06.20 तक अचल संपत्ति विवरण अपलोड करने वाले अधिकारियों की संख्या	शेष रहे अधिकारियों की संख्या	ऑनलाईन नहीं करने का कारण (नामवार)
कुल						

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–माध्य/संस्था/गो.प्र./डी–।।–एफ/अचल सम्पति/2020/182 दिनांकः 15/05/20

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग,जयपुर।
2. उप शासन सचिव, शिक्षा ग्रुप–2 जयपुर ।
3. स्टाफ ऑफिसर कार्यालय हाजा।
4. अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग, को पत्र प्रेषित कर लेख है कि शाला दर्पण वेबसाईट पर पत्र अपलोड कर समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को सूचित करें।
5. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

Most Urgent　　**Time Bound Programme**　　**By E-Mail**

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.24(6)शिक्षा–2/IPR/2018　　　जयपुर,　　　दिनांकः 14/05/2020

1. निदेशक, माध्यमिक /प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2. आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर
3. निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर
4. निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, जयपुर
5. सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर
6. सचिव, राज0 स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

विषयः समस्त **राजपत्रित अधिकारियों से दिनांक 31.05.20 तक राज–काज सॉफ्टवेयर में अचल सम्पत्ति का विवरण भरवाने बाबत।**

संदर्भः संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग का पत्र कमांकःप.13(76)कार्मिक/क–1/ गो.प्र./ 2011 दिनांक 06.05.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग के संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि संलग्न पत्र में दिये गये निर्देशानुसार विभाग के **अधीनस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों (चाहे कही भी बोर्डो/निगमों/परियोजनाओं आदि में प्रतिनियुक्त /कार्यरत हो) से उनकी स्वयं की SSO-ID से लॉग–इन कर राज–काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE पर ऑनलाईन IPR / Revise IPR दिनांक 31.05.2020 तक आवश्यक रूप भरवाया जाना सुनिश्चित करावें।**

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

14/5/2020
(राजेश वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

D:\MALU RAM MEENA\24(6)IPR-2018.docx

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
पत्र प्राप्ति संख्या 1863
दिनांक 11-5-2020

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक प. 13(76) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011 जयपुर,दिनांक 06 MAY 2020

-:परिपत्र:-

विषय:- समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन संशोधित IPR भरने के सम्बन्ध में।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 06.01.2020 के द्वारा राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों को वर्ष 2019 (1 जनवरी 2020 की स्थिति में) अपना अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से भरा जाना था। **अचल सम्पत्ति विवरण भरने हेतु समयावधि 31 मई 2020 तक की जाती है** एवं जिन अधिकारियों द्वारा IPR भरते समय सहवन से गलत प्रविष्टियां अंकित कर दी गई थी, वे सभी अधिकारी इस अवधि में ऑन-लाइन संशोधित IPR भर सकेंगे।

(आशीष मोदी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित ।
9. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग ।

संयुक्त शासन सचिव